

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Memo No 21

Date 13.07.2021

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय:- 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंग:- (1) CWJC No-10901/2006 मो० कयुमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार वाद में दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश।
(2) अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 09 दिनांक 15.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं एवं वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है जबकि 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान अर्थात् पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिये जिसके निम्नलिखित आधार हैं;

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन (छायाप्रति संलग्न) 05.11.2004 को किया गया था। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14.12.2004 निर्धारित की गयी थी।

3. इस क्रम में दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) प्रकाशित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम संख्या-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करते हुए आवेदन जमा करने की तिथि को दिनांक-31.12.2004 तक बढ़ाया गया था।

h

4. उक्त विज्ञापन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.04.2005 को 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परीक्षा फल (छायाप्रति संलग्न) बि.लो.से. आयोग द्वारा 16.12.2008 को घोषित किया गया।

5. 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा 12.01.2009 से 14.01.2009 तक आयोजित की गयी एवं अंतिम परिणाम (छायाप्रति संलग्न) 24.01.2009 को घोषित की गयी।

अतः उक्त साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं;

(क) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2001 के आधार मानकर की गयी है।

(ख) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता हेतु प्रारम्भिक परीक्षा 24.04.2005 को आयोजित की गयी है।

(ग) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु अधियाचना मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 430 दिनांक 06.05.2005 के आलोक में की गयी है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि 47वीं संयुक्त बिहार प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदों की रिक्तियाँ नई पेंशन योजना अर्थात् 01.09.2005 के पहले लागू नियमावली के आलोक में की गयी है। इसी प्रकार का समदृश्य मामला 46वीं बैच के पदाधिकारी का भी है।

7. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC सं०-10901/2006 मो० कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 03.08.2011 को निम्नलिखित आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित है;

"It is infact this aspect of matter which would clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable."

8. उक्त न्याय निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किये गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।

9. अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार की संकल्प सं० 1964 दिनांक 31.08.2005 की कंडिका 3 एवं कंडिका 6 में उल्लिखित प्रावधानों को शिथिल एवं क्षांत करते हुए 01.09.2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन


(अनिल कुमार)
महासचिव

विश्वासभाजन

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No.10901 of 2006**

1. Md.Kayumuddin Ansari, son of Shri Rahmat Ali Ansari, resident of Latif Market, Chokhandi Road, P.S. Sasaram, Sasaram
2. Krishna Kumari, D/o Shri Ramji Prasad Gupta, resident of village Sikarhgarh Tola (L.C.T. Ghat Road), near Mishra Medical Hall, P.O. + P.S. Kahalgaon, District Bhagalpur
3. Arun Kumar, son of Shri Parasnath Prasad, resident of Khajpura Ambedkar Path, P.O. B.V.College, P.S. Shastrinagar, Bailey Road, Patna-800014
4. Seema Kumari, D/o Shri Ajeet Kumar Yadav, resident of village + P.O. Latra, P.S. Nawgachhiya, District Bhagalpur
5. Shashibhushan Kumar Sinha, son of Shri Janardan Prasad, resident of village Manara, P.S. Noorsarai, District Nalanda
6. Kiran Kumari, D/o Shri Jagdish Prasad, resident of village Bishnupur, P.O. Ranipar, P.S. Noorsarai, District Nalanda
7. Satish Kumar, son of Shri Jaleshwar Prasad Singh, resident of Health Institute Road Beur, P.S. Gardanibagh, Anisabad, District Patna-800002
8. Surendra Ram, son of late Ramdeni Ram, resident of village Mataya, P.O. + P.S. Madhopur Ram, District Vaishali
9. Jitendra Kumar Sinha, son of Shri Rampriti Prasad, resident of village Katari, P.S. Atari, District Gaya



Petitioners

Versus

1. The State Of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna
2. The Commissioner, Finance, Govt. of Bihar, Patna
3. The Commissioner cum Secretary, Health Services, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna
4. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Contributory Provident Fund, Bihar, Patna
5. The Additional Secretary, Health and Family Welfare, Department, Vikash Bhawan, Patna
6. The State Drugs Controller, Directorate Health Services, Vikash Bhawan, Patna
7. The Bihar Public Service Commission, Bihar, patna, through its Secretary

Respondents

For the petitioners : Mr. Mithilesh Kumar Rai, Adv.
For the State : Mr. Bijay Kumar Pandey, A.C. to G.P.20
For the BPSC : Mr. Sanjay Pandey, Adv.


5. 3.8.2011

Having heard counsel for the parties as with regard

to the following relief:

“That this is an application for issuance of a writ in the nature of mandamus directing and commanding


the respondent authorities not to give effect to letter no. 690 dated 3.3.2006, issued under the signature of the Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, so far as it relates to the petitioners, which is said to have been pursuant to Gazette notification bearing No. 614 dated 18.11.2005, whereby and whereunder it speaks of the fact that the persons having been appointed on 1.9.2005 or thereafter, shall have to be a member of the newly contributory fund scheme, as also to treat the petitioner to have been appointed prior to 1.9.2005 for the purposes of application of the service condition in regard to pension.”



this Court is of the considered opinion that as the Bihar Public Service Commission had ultimately recommended the names of the petitioners on 25.6.2004 in continuation to the earlier recommendation of 41 candidates vide its letter No. 39 dated 12.5.2003 by making it clear that the name of the petitioners shall be placed below the 40th candidate and above 41st candidate, there should have been no difficulty for the Government to allow the benefit of old pension scheme which was prevalent at the time of appointment of the 41st candidate.


The issue in fact becomes very simple if it is taken into account that by one advertisement No. 2 of 2000 the post of Drug Inspector were advertised but when the result of the same was published in the year 2001 the petitioners were shown to have been unsuccessful in the written test, whereas the Commission had recommended the name of the other 41 persons in the year 2003 after conducting interview and preparing selection list. The

petitioners and the similarly situated persons like the petitioners thereafter had assailed the result and recommendation of the Commission on a ground that they were illegally edged out without following the Government's own scheme and policy as with regard to lowering qualifying mark in the written test for the backward categories. This Court in its judgment dated 16.5.2002 in L.P.A.No. 1283 of 1999 and its analogous cases infact had upheld such claim and had directed the Commission to re-determine the merit list on the basis of qualifying marks prescribed under the statutory Rules. The Commission thereafter had made such exercise and sent its recommendation on 25.6.2004 wherein the name of 11 persons including the petitioners were recommended and it was clarified that their place of seniority will be below SI.No. 40 and above SI.No. 41 of the earlier list dated 12th May, 2003. Consequently such recommendation of the petitioners had not only been accepted by the Government but an offer of appointment was also issued to them on 11.8.2005 communicating that the Government had already decided them to appoint on the post of Drug Inspector and as such they should give their option of three districts for their respective place of posting. While all these things had already happened, the Government had taken a decision that from 1.9.2005 any person appointed in the Government service will not be entitled to the existing policy of pension being paid to them under the Bihar Pension Rules and they would be governed by a new contributory pension scheme framed by the government. Eventually when the petitioners were




also appointed by a notification dated 28.11.2005 they were also deprived of the benefit of pension under old policy and scheme governed by Bihar Pension Rules and they were also coerced to accept the new policy of Contributory Pension Scheme which according to them is less beneficial in comparison to the earlier scheme. It is with this grievance that this writ application has been filed that as they are senior to the persons appointed on the basis of same advertisement and selection process they cannot be prejudiced in the matter of service condition as was given to other persons including a person below them in the merit list.

Learned counsel for the Commission has clarified that the Commission had gone into this exercise and had made its recommendation very clear that the place of the petitioners as per roaster and reservation in view of the direction given by this Court in the judgment dated 16.5.2002 in L.P.A. No. 1823 of 1999, would be below Sl.No.40 of the original list and above 41 of the same list. In fact the Commission has itself placed the revised recommendation dated 25.6.2004 and Mr. Pandey, appearing on behalf of the Commission, has also very fairly produced even the earlier recommendation 12.5.2003, which has been kept on the records of this case. From the simultaneous reading of the two recommendations of the Commission dated 12th May, 2003 and 25.6.2003 it would become absolutely clear that the petitioners will be deemed to be appointee of the same transaction and barring the benefit of payment of salary for the period they had not worked on account of denial of their appointment they were entitled for all



other benefits including seniority to which were extended to other 41 Drug Inspectors appointed earlier in view of the recommendation of Commission in its letter dated 12.5.2003.


In that view of the matter, this Court would find it difficult to accept the submission of the learned counsel for the State who has given only one explanation by way of justification of the Government decision that the petitioners being appointee after 1.9.2005 were to be governed by the new contributory pension scheme. Such submission of learned counsel for the State is based on an arithmetical calculation that since the appointment letter of the petitioners was issued after cutoff date of 1.9.2005 they will be automatically deprived from availing the earlier benefit of pension under Bihar Pension Rules which was given to the appointees of the year 2003. This Court however would fail to understand the logic of such submission, inasmuch as when the petitioners were subjected to same selection process in terms of the same advertisement and ultimately their case was recommended by the Commission in continuation of the same merit list by placing them above a person who was originally recommended and appointed, it would be difficult to accept such justification given by the State Government that the petitioners still will be deprived of the benefit of the old pension scheme because they were appointed after 1.9.2005. It was not the fault of the petitioners that the Commission and/or the Government did not follow its own policy of following its decision regarding lower qualifying marks for the candidates belonging to backward



category and therefore, if the Government and the Commission had to be directed by this Court in the case filed by the similarly situated persons for drawing a fresh merit list, and in such merit list the name of the petitioners had figured above someone who was originally recommended, they cannot be deprived of the benefit which has been given to the originally recommended candidates.


It is in fact this aspect of the matter which would clinch the issue in favour of the petitioners inasmuch as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new Rules coming into force after beginning of process of selection as per old Rules cannot be made applicable.

Reference in this connection may be usefully made to the judgment of Apex Court in the case of P. Mahendran Vs. State of Karnataka reported in (1990) 1 SCC 411. Moreover a right to receive pension is condition of service as has been held by the Apex Court in the case of Union of India Vs. Gurnam Singh reported in (1982) 2 SCC 314 and thus to be governed in accordance with the terms and condition of the advertisement and the existing Rules inasmuch he acquires a right to be considered for selection and appointment in accordance with the then existing Rules. This Court would accordingly hold that the petitioners being appointees of the old transaction of Advertisement No. 2 of 2000 in continuation with old appointees of 2003 will be entitled to get the benefit of old pension scheme and they will not be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme coming



into force w.e.f. 1.9.2005. It has to be also kept in mind that even the original appointment letter issued on 26.11.2005 to the petitioners, did not contain any clause and/or condition that they will be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme and therefore, the resolution of the Finance Department, contained in Annexure 10 dated 1.9.2005, cannot be made applicable in the case of the petitioners as it was not made part of their service condition also in their appointment letter.

For all these reasons, this application is allowed and the respondents are directed to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the petitioners as was extended to other Drug Inspectors appointed out of the same advertisement and transaction.



Surendra/

(Mihir Kumar Jha,J.)

स्नातक पास सभी जाति के उम्मीदवारों के लिए

बिहार लोक सेवा आयोग

B P S S C

के अधीन

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

हेतु आवश्यक निर्देश :-

निम्नांकित सेवाओं/पदों जिनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा अंकित है, सरकार से शिकारियों की सूचना प्राप्ति की प्रवृत्तियों में विहित प्रपत्र परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में हिन्दी (देवनागरी-लिपि) में भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार श्रम सेवा (सामान्य), बिहार कला सेवा, सहायक नियोजन पदाधिकारी, सहायक निरीक्षक (सहयोग समितियों) अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षण पदाधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष है तथा बिहार पुलिस सेवा बटालियन कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) एवं उत्पाद निरीक्षक के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है। उम्र की गणना की तिथि 1ले अगस्त 2001 होगी।

अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :- अनारक्षित वर्ग—35 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)—40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग—37 वर्ष, महिला पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग—38 वर्ष।

नोट :- जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो गये हैं, वे उम्र सीमा के अन्दर रहने पर भी बिहार पुलिस सेवा, बटालियन कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी) एवं बिहार कला सेवा के पात्र नहीं होंगे। बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवक जो दिनांक 1/8/2001 को तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी कर चुके हैं, के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा मान्य रहेगी। इस उम्र रियायत के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार श्रम सेवा (सामान्य) एवं सहायक नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु तीन बार और बिहार शिक्षा सेवा में नियुक्ति हेतु मात्र दो बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। उम्र सीमा में यह छूट केवल बिहार सरकार के कर्मचारियों (गैर तकनीकी) के लिए है।

शैक्षणिक योग्यता शारीरिक क्षमता :- उम्मीदवार को किसी परिनिमित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक 01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए।

परीक्षा शुल्क :- बिहार पुलिस सेवा तथा बटालियन कमांडर (होमगार्ड) के उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाये 32 (बत्तीस) इंच होनी चाहिए, परन्तु अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों की दशा में उपर्युक्त शारीरिक माप के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिए न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाये 31 इंच का प्रावधान रहेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए।

परीक्षा पाठ्यक्रम :- अनु. जाति/अनु. जनजाति को 20 (बीस) रुपये तथा शेष को 80 (अस्सी) रुपये का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो जी. पी. ओ., पटना या बैंक ड्राफ्ट जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के नाम से पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक फ्रेजर रोड, पटना में मुगतेय हो, संलग्न करें।

आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ :- इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पूर्ववत् रहेंगे। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी रूपान्तर परीक्षा का आधार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे।

संलग्नक :- अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए प्रदत्त आरक्षण का लाभ हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय तक कम-से-कम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र (क्रिमी लेयर विषयक) तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् बिहार के मूलवासी हैं।

नोट :- (क) उम्मीदवार 26 x 10 सें. मी. के आकार के स्वपता लिखित दो लिफाफे जिसपर छः-छः रुपये की डाक टिकट तथा एक पोस्टकार्ड अपने पता के साथ जिसपर 1.50 (डेढ़) रुपये की अतिरिक्त डाक टिकट चिपकायी गयी हो अवश्य संलग्न करें। पोस्ट कार्ड पर उम्मीदवार परीक्षा का नाम अवरय लिखें।

लिफाफे के ऊपर :- (ख) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता अथवा जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित अथवा फोटो प्रति संलग्न नहीं करें।

आवेदन भेजने का पता :- उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ कागजातों को निम्न क्रमानुसार टैम से नट्ठी कर देंगे—(i) आवेदन पत्र परिशिष्ट 'क' (ii) दो लिफाफे (छः-छः रुपये की डाक टिकट सहित) (iii) उपरिधत पत्र (परिशिष्ट 'ख') (iv) पोस्टकार्ड।

सफलता हेतु कनक रत्नसागर सामान्य ज्ञान एवं कनक बिहार कौन, तथा दिग्दर्शिका अवश्य पढ़ें।

प्राप्ति स्थान : पीयूष बुक सेंटर, बुद्ध प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना-1

सफलता हेतु कनक रत्नसागर सामान्य ज्ञान एवं कनक बिहार कौन, तथा दिग्दर्शिका अवश्य पढ़ें।



बिहार लोक सेवा आयोग

15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग
(बेली रोड) पटना-800001

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

निर्धारित सेवाओं/पदों जिनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा अंकित है, सरकार से निविदाओं की सूचना प्राप्त की प्रवृत्ति में विहित प्रपत्र परिशिष्ट "क" एवं "ख" में हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दिनांक 14.12.2004 तक भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार ग्राम सेवा (सामान्य) बिहार कारा सेवा, सहायक नियोजन पदाधिकारी, सहायक निबंधक (साहयोग समितियों), अवर निबंधक, अवर निबंधन पदाधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष तथा बिहार पुलिस सेवा, बटासियन कमांडर (गृह रक्षा बहिनी) एवं उत्पाद निरीक्षक के पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है। उम्र की संगणना की तिथि 15 अगस्त 2001 होगी।

1. अधिकतम उम्र सीमा निम्नप्रकार है :- अनारक्षित-35 वर्ष, अनु. जाति एवं अनु. जन जाति (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष, पि. व. तथा अ. पि. व.-37 वर्ष, महिला पि. व. एवं अ. पि. व.-38 वर्ष। जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो गये हैं, वे उम्र सीमा के अंदर रहने पर भी बिहार पुलिस सेवा, बटासियन कमांडर (गृह रक्षा बहिनी) एवं बिहार कारा सेवा के पत्र नहीं होंगे। बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले स्थायी एवं अस्थायी सरकारी सेवक, जो दिनांक 1.8.2001 को तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा मान्य रहेगी। इस उम्र रियायत के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार ग्राम सेवा (सामान्य) एवं सहायक नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु तीन बार और बिहार शिक्षा सेवा में नियुक्ति हेतु मात्र दो बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। उम्र सीमा में यह छूट केवल बिहार सरकार के कर्मचारियों (गैर तकनोकी) के लिए है। अन्य सरकारी अथवा निगमों एवं निगमों के कर्मचारियों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
2. 1 जनवरी, 1963 के बाद एन. सी. सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों की एन. सी. सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन उम्र की कौटुंबिक एक में दर्ज/उचित पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी चारसालिक उम्र से उम्र दिव मंजूर की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन. सी. सी. से पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष अधिक न हो, तो उनके संबंध में यह माना जायेगा कि वे सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त पूरी करते हैं।
3. भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई. सी. ओ. ज/एस. एस. सी. ओ. ज सहित) श्रेणियों के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर आयु शिथिलीकरण का लाभ उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष तक उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई. सी. ओ. ज/एस. एस. सी. ओ. ज सहित) को अनुमान्य होगी, जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं कार्य समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छ. माहों के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते की वे विमुक्ति बहाल, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अयोग्यता के परिणाम स्वरूप नहीं हुई हों।
4. उन्हे भूतपूर्व सैनिक (ई. सी. ओ. ज/एस. एस. सी. ओ. ज सहित) को अनु. जाति/अनु. जन जाति के सदस्य है तो अनु. जाति/अनु. जन जाति की राज्य सरकार की सेवा में सीपी नियुक्ति के लिए जो उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का

- लाभ दिया गया है, उसका समकक्ष विचारार्थीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचारार्थीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनु. जाति/अनु. जन जाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई. सी. ओ. ज/एस. एस. सी. ओ. ज सहित) को कारा सेवा हेतु ऊपरी उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पांच वर्ष अधिक होगी।
- नोट :- सैन्य सेवा से विमुक्त उम्मीदवार सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. शारीरिक क्षमता :- बिहार पुलिस सेवा तथा बटासियन कमांडर (होम गार्ड) के उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाये 32 (बत्तोर) इंच होनी चाहिये, परन्तु अनु. जाति/अनु. जन जाति के उम्मीदवारों की दृष्टा में उपर्युक्त शारीरिक माप के परचात उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाये 31 इंच का प्रावधान रहेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिये।
 6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- उम्मीदवारों को कितनी परिनिष्ठ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक 1.8.2001 के पहले की होनी चाहिये।
 7. परीक्षा शुल्क :- अनु. जाति/अनु. जन जाति को 20 (बीस) रुपये तथा शेष को 80 (अस्सी) रुपये का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो जी. पी. ओ. पटना या बैंक ड्राफ्ट जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के नाम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक क्रैजर रोड, पटना में भुगतान हो, संलग्न करें।
 8. आरक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएं :- अनु. जाति/अनु. जन जाति के लिए प्रदत्त आरक्षण के लाभ हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय तक कम से कम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र (क्रिमो लेजर विषयक) तथा अनु. जाति/अनु. जन जाति को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात बिहार के मूलवासी हैं।
 9. आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर अथवा उम्र में "कटिंग" (ओवर राइटींग) होने पर उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
 10. इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पूर्ववत् रहने में। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी रूपान्तर परीक्षा का आधार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे।
 11. उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उच्च देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (बीसे- 1, 2, 3) का ही प्रयोग करें।
 12. (क) उम्मीदवारों से आवेदन विहित प्रपत्र (परिशिष्ट "क" एवं "ख") में 31x20 से.मी. के आकार के सादे मोटे कागज (पतले कागज पर किसी भी हालत में नहीं) पर ही स्वीकृत किये जायेंगे।
(ख) आवेदन पत्र भेजते समय, लिफाफा के ऊपर 47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा अवश्य लिखें। उम्मीदवार 26x10 से. मी. के आकार के स्वयंवा लिखित दो लिफाफे जिन पर छ. - छ. रुपये का डाक टिकट तथा एक पोस्टकार्ड अपने पता के साथ जिस पर 1.50 (डेढ़) रुपये की अतिरिक्त डाक टिकट चिपकायी गयी हो, अवरुप संलग्न करें। पोस्टकार्ड पर भी उम्मीदवार परीक्षा का नाम अवश्य लिखेंगे।
(ग) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता अथवा जाति प्रमाण पत्र की अभिलिखित अथवा फोटो प्रतियां संलग्न नहीं करें।
(घ) उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ कागजात को निम्न क्रमानुसार टेग से तथ्यी कर देंगे :-

(1) आवेदन पत्र परिशिष्ट "क" (ii) दो लिफाफे (छ: - छ: रुपये की डाक टिकट सहित) (iii) उपस्थिति पत्र (परिशिष्ट "ख") (iv) पोस्टकार्ड।

13. आवेदन पत्र सभी कागजात सहित उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, बवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेलौ रोड), पटना-800001 को निर्वाचित डाक से इस तरह भेजें कि अंतिम निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाये।

14. परीक्षा में प्रवेशार्थ किसी उम्मीदवार को पात्रता/अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

15. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। बाद में इनके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी।

16. उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में अपना उत्तर, परीक्षा कक्ष में आपूरित ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पत्रक पर हो अंकित करेंगे। उम्मीदवार आपूरित उत्तर पत्रक पर यथा निर्धारित सभी सूचनाओं को भरेंगे।

17. उम्मीदवार द्वारा विज्ञापन की शर्तें तथा परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर फोटो चिपकाने के स्थान पर दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

18. सहत्वपूर्ण सूचना :- इस परीक्षा के द्वारा बिहार सरकार द्वारा यथा सूचित पदों पर ही नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चलेगी।

19. बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या सम्प्रति अप्रतिवेदित है।

20. बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों को ही आरक्षण एवं परीक्षा शुल्क का लाभ मिलेगा।

21. विकलांग उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे।

उप सचिव

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

47वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-प्रपत्र।
(आवेदन प्रपत्र मोटे कागज पर ही होना चाहिए)
परिशिष्ट - "क"

आवेदन प्राप्त की तिथि :- अनुक्रमांक :-

1. उम्मीदवार का नाम (जैसा मीट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज हो) अंग्रेजी (केपिटल लैटर में) में हिन्दी में

पिता/पति का नाम
वर्तमान पता पिन कोड

स्थायी पता पिन कोड

2. (क) उम्मीदवार की जन्म तिथि (मीट्रिक या समकक्ष के अनुसार) तिथि माह वर्ष

(ख) जन्म तिथि (शब्दों में) यदि आप आयु में छूट का दावा करते हैं तो इस संबंध में उल्लेख करें (ग) क्या आप बिहार सरकार के सेवान्तर्गत कार्यरत हैं? यदि हां तो विभाग/कार्यालय का नाम लिखें.....

(घ) विज्ञापन में उल्लिखित तिथि को उम्मीदवार की उम्र वर्ष माह... दिन.... (ङ) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उपभाग किये गये अवसरों की संख्या

3. (क) आरक्षण :- आरक्षण की श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर एवं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपनी जाति का उल्लेख सुसंगत बॉक्स में अंकित करें :- आरक्षण की श्रेणी आरक्षण कोड नम्बर (पुरुष एवं महिला) आरक्षित श्रेणी की महिला के लिए केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की जाति (पुरुष एवं महिला)। (ख) विवाहित/अविवाहित (ग) क्या उम्मीदवार बिहार राज्य के वासी हैं, हां/नहीं। टिप्पणी :- (1) आरक्षण की

श्रेणी एवं कोड निम्न है :- अनारक्षित- 01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-04, पिछड़ा वर्ग-05, पिछड़े वर्ग की महिलाएं (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग)-06 (ii) आरक्षित श्रेणी पिछड़े/अत्यंत पिछड़े वर्गों की महिलाएं जिस श्रेणी की हैं ऊपर में अपने आरक्षण की श्रेणी एवं उसके कोड के साथ-साथ आरक्षण कोड-06 बॉक्स में अंकित करेंगी। (च) क्या उम्मीदवार विकलांग है? यदि हां तो विकलांगता का प्रतिशत

4. शैक्षणिक योग्यता :- उत्तम परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय श्रेणी/वर्ग परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष

5. परीक्षा शुल्क की राशि :- भुगतान किया जाने वाला शुल्क रुपये 80 है। बिहार राज्य की अनु. जाति तथा अनु.जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 20 रु. है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करें

6. दो पहचान चिन्ह का विवरण :- (1) (2)

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियां सच्ची, पूरी और सही हैं। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जाय अथवा परीक्षा से पहले या बाद में यदि अपात्रता का पता चले तो आयोग मेरी पात्रता रद्द कर सकता है।

2. मैंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(क) हिन्दी में

(ख) अंग्रेजी में

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

47वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा।

परिशिष्ट "ख"

(उपस्थिति पत्रक)

अनुक्रमांक

1. उम्मीदवार का नाम (2) पिता/पति का नाम

3. जन्मतिथि :- (.....) दिनांक महीना वर्ष

4. (1) वर्तमान पता (ii) स्थायी पता

5. दो पहचान चिन्ह का विवरण (1) (ii)

6. क्या उम्मीदवार विहित योग्यता धारण करता है :- हां/नहीं।

7. आरक्षण की श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर एवं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अपनी जाति का उल्लेख सुसंगत बॉक्स में अंकित करें। आरक्षण की श्रेणी, आरक्षण कोड नम्बर (पुरुष एवं महिला)

आरक्षित श्रेणी के महिलाओं के लिए

केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की जाति

तिथि

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

(क) हिन्दी में

(ख) अंग्रेजी में

नोट :- परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार उपस्थिति पत्रक पर चाँदित सभी प्रविष्टियों के उपरोक्त हस्ताक्षर करते समय सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके सामने उपस्थिति पत्रक के निर्धारित स्थान पर चौक्षक ने हस्ताक्षर कर दिया है। यदि उपस्थिति पत्रक पर चौक्षक का हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो उस विषय की परीक्षा में उम्मीदवार की अनुपस्थित माना जायेगा।

8. परीक्षा की तिथि उत्तर-पत्रक की संख्या

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर चौक्षक का हस्ताक्षर

स्वअभिप्रमाणित फोटो साट कर राजपत्रित पदा. से इस प्रकार अभिप्रमाणित कार्य कि उनका हस्ताक्षर एवं मुहर का आधा भाग आवेदन पत्र पर रहे

स्वअभिप्रमाणित फोटो साट कर राजपत्रित पदा. से इस प्रकार अभिप्रमाणित कार्य कि उनका हस्ताक्षर एवं मुहर का आधा भाग आवेदन पत्र पर रहे

Certified
Section Officer

Public Service Commission
PATNA

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

47वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षाफल

Annexure - D

120

47वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, रविवार, दिनांक 24.04.2005 को राज्य के 16 जिलों में अवस्थित 143 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। एक लम्बी अवधि तक उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन-कार्य अवरुद्ध रहा; पूर्ण जॉचोपरान्त, परीक्षा में बैठे कुल 37943 उम्मीदवारों के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन-कार्य सम्पन्न कराकर, आयोग 47वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सफल परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक (Enrollment Number), क्रमवार, नीचे बायें से दायें, प्रकाशित करता है:

00008	100052	100061	100063	100065	100068	100070	100072	100075	100150	100151	100156	100166	100171
00176	100181	100184	100187	100188	100189	100192	100193	100195	100198	100200	100206	100216	100218
00219	100221	100230	100231	100232	100237	100242	100246	100247	100252	100258	100274	100275	100285
00297	100301	100303	100306	100308	100312	100321	100327	100329	100330	100343	100354	100366	100369
00380	100384	100389	100395	100396	100399	100401	100412	100414	100416	100418	100419	100420	100428
00439	100453	100456	100459	100476	100480	100515	100580	100609	100612	100641	100668	100679	100687
00706	100729	100752	100771	100792	100800	100801	100805	100832	100843	100844	100848	100893	100907
00942	100944	100947	100955	100956	100965	100967	100972	100997	101014	101024	101076	101093	101095
01159	101160	101175	101183	101184	101186	101196	101201	101203	101224	101236	101238	101239	101244
01252	101257	101258	101259	101265	101267	101275	101276	101289	101303	101339	101353	101375	101446
01450	101451	101515	101565	101566	101589	101590	101601	101605	101611	101638	101691	101719	101780
01802	101813	101850	101891	101898	101910	101913	101971	102005	102011	102012	102027	102030	102050
02085	102088	102093	102102	102118	102130	102139	102140	102163	102170	102188	102199	102201	102206
02215	102243	102259	102266	102268	102269	102297	102316	102326	102339	102340	102349	102376	102377
02396	102414	102423	102426	102437	102442	102446	102449	102454	102485	102498	102521	102523	102526
02540	102543	102653	102658	102660	102746	102758	102764	102791	102869	102895	102948	102952	102960
03001	103008	103017	103019	103025	103072	103029	103030	103031	103041	103053	103055	103062	103063
03064	103065	103067	103068	103072	103073	103074	103075	103078	103079	103080	103117	103131	103157
03161	103206	103229	103245	103251	103334	103351	103352	103371	103377	103381	103390	103392	103407
03409	103441	103446	103461	103472	103473	103474	103490	103492	103496	103497	103519	103521	103524
03526	103527	103537	103540	103545	103546	103547	103548	103550	103551	103552	103555	103559	103571
03573	103574	103575	103576	103580	103581	103582	103584	103585	103588	103589	103592	103595	103597
03794	103804	103805	103865	103874	103897	103912	103921	103940	103942	103949	103952	103955	103957
04073	104074	104090	104129	104130	104131	104135	104150	104151	104162	104167	104187	104188	104193
04201	104224	104234	104242	104286	104287	104288	104292	104304	104324	104328	104331	104336	104337
04342	104344	104345	104354	104380	104381	104393	104410	104482	104502	104525	104584	104597	104602
04619	104657	104665	104736	104738	104744	104745	104753	104754	104777	104806	104807	104809	104829
04839	104888	104905	104920	104923	104950	104968	104971	104972	104976	104986	104992	104994	105000
05001	105014	105030	105031	105047	105048	105054	105078	105080	105082	105097	105112	105113	105116
05124	105131	105132	105139	105140	105152	105157	105161	105170	105171	105184	105185	105187	105193
05194	105199	105219	105226	105250	105311	105371	105387	105397	105399	105400	105411	105412	105418
05435	105445	105456	105461	105468	105475	105477	105496	105514	105515	105528	105540	105547	105558
05569	105573	105584	105593	105600	105608	105618	105625	105627	105633	105646	105664	105668	105670
05678	105679	105695	105703	105712	105715	105729	105733	105743	105766	105774	105775	105779	105786
05796	105797	105834	105850	105854	105892	105894	105896	105902	105906	105941	105951	105981	105995
06000	106035	106044	106065	106070	106072	106073	106091	106096	106127	106132	106133	106134	106143
06188	106201	106215	106218	106227	106234	106239	106271	106272	106301	106316	106324	106331	106342
06346	106378	106382	106390	106396	106399	106404	106409	106410	106413	106417	106418	106425	106435
06447	106451	106472	106473	106483	106525	106537	106550	106557	106558	106603	106641	106644	106679
06698	106728	106741	106749	106753	106760	106786	106860	106862	106892	106931	106946	106980	106986
07016	107022	107023	107024	107026	107027	107059	107069	107070	107072	107097	107099	107104	107125
07157	107173	107187	107225	107235	107237	107244	107252	107254	107261	107280	107395	107409	107464
07474	107479	107533	107614	107638	107677	107680	107690	107707	107720	107732	107742	107743	107744
07762	107766	107772	107799	107800	107813	107816	107818	107823	107855	107911	107926	107935	107943
07950	107956	107968	108007	108009	108026	108027	108035	108051	108054	107911	107926	107935	107943
08176	108181	108190	108196	108213	108215	108218	108220	108224	108236	108252	108102	108119	108142
08262	108263	108264	108270	108272	108273	108275	108279	108288	108302	108323	108254	108257	108261
08336	108337	108341	108347	108358	108359	108360	108361	108364	108373	108378	108324	108334	108335
08487	108503	108527	108555	108569	108571	108580	108592	108603	108604	108605	108617	108481	108482
08688	108689	108741	108783	108800	108803	108807	108813	108816	108838	108867	108661	108661	108681
08892	108893	108902	108908	108986	108988	108997	109030	109037	109040	108889	108889	108890	108891
09069	109073	109077	109086	109096	109115	109137	109152	109167	109209	109043	109048	109051	109058
09312	109331	109340	109350	109354	109399	109426	109432	109433	109443	109451	109250	109251	109255
09485	109495	109504	109531	109542	109557	109570	109579	109584	109589	109589	109609	109458	109468
09634	109635	109636	109670	109686	109690	109707	109710	109722	109723	109723	109615	109618	109621
09833	109836	109840	109841	109842	109846	109852	109855	109865	109867	109752	109615	109618	109621
09924	109926	109928	109930	109943	109945	109949	109961	109969	109988	109998	109759	109760	109766
10015	110023	110026	110033	110060	110072	110084	109961	109969	109988	109998	109893	109909	109922
10176	110179	110183	110187	110223	110242	110245	110086	110121	110122	110134	110004	110006	110008
10343	110389	110415	110423	110429	110430	110433	110252	110256	110289	110294	110145	110151	110169
10583	110584	110616	110625	110634	110639	110645	110459	110463	110472	110473	110312	110316	110333
10725	110748	110754	110759	110773	110778	110779	110648	110660	110663	110672	110487	110491	110500
10839	110843	110876	110879	110880	110896	110779	110785	110788	110789	110667	110678	110687	110709
11052	111097	111104	111142	111167	111178	110923	110948	110958	110789	110793	110799	110818	110826
11255	111268	111272	111280	111288	111289	111188	111201	111203	110964	110978	110993	111023	111028
11386	111390	111391	111397	111409	111418	111325	111330	111352	111212	111217	110993	111023	111028
11452	111456	111467	111471	111477	111478	111425	111330	111352	111212	111217	111218	111226	111243
11585	111588	111591	111625	111642	111650	111484	111430	111434	111365	111366	111371	111375	111378
11766	111807	111822	111830	111864	111880	111671	111518	111543	111435	111436	111437	111440	111441
11945	111952	111955	111959	111960	111961	111672	111672	111675	111545	111548	111562	111568	111571
12052	112061	112065	112074	112085	111979	111893	111897	111899	111699	111709	111711	111731	111743
12195	112196	112197	112215	112232	112104	112112	111982	111997	111900	111906	111924	111928	111942
12304	112311	112315	112330	112345	112236	112238	112119	112159	112170	112003	112005	112042	112051
12420	112427	112428	112445	112450	112348	112355	112242	112257	112262	112184	112188	112189	112191
12592	112600	112617	112639	112654	112454	112491	112356	112363	112376	112272	112273	112292	112294
12766	112792	11											



बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (वेली रोड), पटना - 800001

185

47वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा का फल

उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सफल घोषित 224 उम्मीदवारों के अनुक्रमांक बायें से दायें क्रमवार निम्नवत् प्रदर्शित किये जाते हैं:-

100061/100063/100171/100184/100193/100230/100330/100366/100418/100476/100480.
 100706/100947/101014/102012/102259/102326/102960/103078/103206/103574/103576.
 103582/103584/105170/105400/105475/105715/105892/105896/106134/106201/106984.
 107027/107252/108102/108176/108254/108275/108571/108604/109865/110084/110183.
 110491/110667/110993/111371/111518/111675/111699/111822/111982/112074/112104.
 112272/112420/112655/113120/113716/113777/113825/114086/114103/115711/115730.
 116220/116255/116970/117512/117807/118188/118190/118281/118532/118645/119280.
 119308/119353/119492/119581/119811/120365/120733/121164/121836/122645/122921.
 123076/123289/124075/124220/125303/125312/125329/125401/125486/125515/126028.
 126332/126600/126621/127104/127127/127564/127912/128214/128331/128899/129046.
 129560/129880/130083/130234/130314/130380/130441/130508/130748/131817/132587.
 133780/134300/134636/134929/135891/136005/136320/138180/138291/138394/138612.
 138807/140103/140208/140560/142006/142195/142539/142544/142829/143030/143308.
 144791/145036/145789/146112/146615/147319/147891/147951/148629/148700/148747.
 148829/149150/149398/149469/149604/150349/150993/151078/151085/151582/151657.
 154908/155040/155043/155171/156434/156491/156724/156744/156938/156971/157665.
 157773/157852/158658/158719/158816/158837/158842/158862/159274/159714/159827.
 159886/160853/160888/162206/162303/162430/163082/163416/163750/164358/164360.
 164393/164633/164693/164723/164957/164997/165586/165810/166263/166557/166571.
 166572/167789/168595/168788/168867/168911/169053/169260/169304/169457/169910.
 170436/171217/171678/172198 कुल - 224

कुल रिक्तियाँ:-

कोटि	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार आरक्षी सेवा	कारा अधीक्षक	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी	सहायक निबंधक	अवर निबंधक	वाणिज्यकर अधिकारी	सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी	कुल
सामान्य (01)	18	04	06	05	02	02	03	05	45
अनुसूचित जाति (02)	06	01	02	02	—	01	01	01	14
अनुसूचित जनजाति (03)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)	06	—	02	—	05	01	01	—	15
पिछड़ा वर्ग (05)	05	—	01	—	01	02	—	01	10
पिछड़ी महिलाएँ (06)	01	—	—	—	02	—	—	—	03
कुल:	36	05	11	07	10	06	05	07	87

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त सफल उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के लिए सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी/उन्हें भेजी जायेगी।
 2. आरक्षण कोटि अथवा विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सन्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 3. उपर्युक्त कुल 224 उम्मीदवारों में सामान्य कोटि (01) के 111, अनुसूचित जाति (02) के 34, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के 38, पिछड़ा वर्ग (05) के 26 एवम् पिछड़ी महिलाओं (06) के 8 उम्मीदवार हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य कोटि (01) के अधीन 4; अनुसूचित जाति (02) के अधीन 1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के अधीन 1, एवम् पिछड़ा वर्ग (05) के अधीन 1; कुल 7 उम्मीदवारों को विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया है।
 4. अनुक्रमांकों सहित मुद्रण की अन्य किसी त्रुटि के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
 5. उपर्युक्त परीक्षाफल आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।

तिथि: 16 दिसम्बर, 2008

16/12/08
उप सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

Certified

Section Officer

Bihar Public Service Commission
PATNA



बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

201
IV

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का एल

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत साक्षात्कार हेतु चयनित कुल 224 उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 12.01.2009 से 14.01.2009 की अवधि में सम्पन्न हुआ। उक्त मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में चार उम्मीदवार, अनुक्रमांक 129046, शम्भु कुमार सिंह अनुक्रमांक 129560, हरिश्चंद्र नाथ, अनुक्रमांक 138612, संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 148829, संजय भारती ने भाग नहीं लिया। शेष 220 उम्मीदवारों की, उनकी (मुख्य) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों की जोड़ के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त क्रमिक मेधा सूची के अधीन, राज्य संवर्ग/सेवाओं के लिए उनके द्वारा इंगित अधिमान-क्रम को प्रथम देते हुए, चयनित सेवा के लिए उनकी सुयोग्यता तथा आरक्षण रॉस्टरवार रिक्त पद-उपलब्धता के अनुसार निम्नांकित उम्मीदवारों को इंगित राज्य संवर्ग/सेवा में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया जाता है:-

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आवृत्त आरक्षण रॉस्टर रिक्ति
(1) बिहार प्रशासनिक सेवा:				
1.	134300	हरिश्चंद्र प्रसाद कुशावाहा	6	सामान्य
2.	107027	राजेश्वरी पाण्डेय	6	सामान्य
3.	110993	कुमार प्रशान्त	7	सामान्य
4.	124075	नीरज कुमार दास	8	सामान्य
5.	142539	शम्भु नाथ	9	सामान्य
6.	103574	किशोर कुमार	10	सामान्य
7.	128331	संजीव कुमार	11	सामान्य
8.	118188	दुर्गा कुमार	12	सामान्य
9.	102012	घनशंकर आजाद	13	सामान्य
10.	119308	राकेश कुमार	14	सामान्य
11.	163082	गिरिजेश कुमार	15	सामान्य
12.	150349	अनिल कुमार तिवारी	16	सामान्य
13.	167789	देवेन्द्र प्रताप शाही	17	सामान्य
14.	147319	शशि शंकर	18	सामान्य
15.	102326	मधु कान्त	20	सामान्य
16.	108254	शैलेश चन्द्र दिवाकर	21	सामान्य
17.	164893	नील सिंह	22	सामान्य
18.	151085	रामानुज प्रसाद सिंह	23	सामान्य
19.	103584	अखिलेश कुमार	26	पिछड़ा वर्ग
20.	108604	अमिताभ कुमार गुप्ता	28	पिछड़ा वर्ग
21.	130314	सुरेन्द्र कुमार अलबेल	29	पिछड़ा वर्ग
22.	162303	संजय कुमार सिंह	33	पिछड़ा वर्ग
23.	156938	अशोक कुमार गुप्ता	35	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
24.	106134	अनु कुमार	43	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
25.	130441	प्रतिभा सिन्हा	48	पिछड़ा वर्ग की महिला
26.	113825	बुद्ध प्रकाश	52	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
27.	116220	कपूर अंसारी	64	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
28.	132587	उत्तम कुमार	65	पिछड़ा वर्ग (विकलांग)
29.	123076	अजिमुल्लाह अंसारी	76	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
30.	140103	मुकेश कुमार	78	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
31.	138394	हरेन्द्र राम	104	अनुसूचित जाति
32.	112104	कुमार घननजय	128	अनुसूचित जाति
33.	127912	अरुण प्रकाश	163	अनुसूचित जाति
34.	125401	विशाल आनन्द	165	अनुसूचित जाति
35.	136005	मणि भूषण किशोर	168	अनुसूचित जाति
36.	156491	नील कुमार	171	अनुसूचित जाति
(2) बिहार आरक्षी सेवा:				
37.	112655	राकेश कुमार	1	सामान्य
38.	113777	अरुण कुमार झा	2	सामान्य
39.	155171	राजेश कुमार सिंह प्रभाकर	3	सामान्य
40.	116255	रूप रजन हरगढ़े	4	सामान्य
41.	120385	मनोज कुमार	56	अनुसूचित जाति
(3) बाणिज्यकर अधिकारी:				
42.	108275	नरेन्द्र प्रताप सिंह	24	सामान्य
43.	171678	मुकेश कुमार	25	सामान्य
44.	122921	शशिकान्त चतुर्वेदी	27	सामान्य
45.	158434	रवि रजन आलोक	50	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
46.	143030	संजय कुमार	185	अनुसूचित जाति

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आवृत्त आरक्षण रॉस्टर रिक्ति
(4) अवर निबंधक:				
47.	102259	राजेश कुमार सिंह	30	सामान्य
48.	121836	ऋषि कुमार सिन्हा	32	सामान्य
49.	100061	प्रमोद कुमार	39	पिछड़ा वर्ग
50.	164957	संजय कुमार	44	पिछड़ा वर्ग
51.	105170	मनीष कुमार	80	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
52.	112074	मोहन कुमार	172	अनुसूचित जाति
(5) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी:				
53.	101014	सुभाष चन्द्र वर्मा	31	सामान्य
54.	130063	प्रवीण कुमार सिंह	34	सामान्य
55.	112420	राजेश कुमार	36	सामान्य
56.	113120	कुन्दन लाल	45	सामान्य
57.	119492	शैलेंद्र कुमार	47	सामान्य
58.	135891	विजयानन्द राजेश	193	अनुसूचित जाति
59.	159714	घनश्याम रविदास	194	अनुसूचित जाति
(6) कारा अधीक्षक:				
60.	127127	राजेश ओझा	37	सामान्य
61.	140208	विजय कुमार अरोड़ा	41	सामान्य
62.	160888	जवाहर लाल प्रभाकर	46	सामान्य
63.	108571	राजीव कुमार झा	49	सामान्य
64.	123289	विद्या भूषण मिश्र	51	सामान्य
65.	149604	मनोज कुमार	53	सामान्य
66.	149150	रंजीत कुमार मधुकर	54	पिछड़ा वर्ग
67.	164723	राजेश पुनार	91	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
68.	163416	मोती लाल	116	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
69.	164997	उमेश्वर चौधरी	190	अनुसूचित जाति
70.	105892	अरुण पासवान	195	अनुसूचित जाति
(7) सहायक निबंधक, सहायक सप्लायर्स:				
71.	120733	संजीव कुमार सिंह	38	सामान्य
72.	171217	दीपेन्द्र शर्मा	42	सामान्य
73.	128899	धर्मनाथ प्रसाद	60	पिछड़ा वर्ग
74.	103206	मो. इरफान आलम	88	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
75.	127564	राज कुमार	96	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
76.	112272	बाबू राजा	99	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
77.	145036	कुमार स्नेहलता	102	पिछड़ा वर्ग की महिला
78.	151078	वकारुत जमा	120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
79.	149469	अरुण कुमार	121	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
80.	148700	संयुक्ता	131	पिछड़ा वर्ग की महिला
(8) सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी:				
81.	158658	रविन्द्र कुमार	55	सामान्य
82.	111675	आमिताभ अमित	57	सामान्य
83.	111982	मनोज कुमार	58	सामान्य
84.	130748	भूपेन्द्र नारायण सिंह	59	सामान्य
85.	117512	विष्णु कुमार	61	सामान्य
86.	168788	अनंत कुमार	66	पिछड़ा वर्ग
87.	125486	रविन्द्र कुमार दिवाकर	192	अनुसूचित जाति

- उपर्युक्त 220 उम्मीदवारों में से अनुक्रमांक 111581, नीलाम कृष्ण (मेधा क्रमांक-19) एवं अनुक्रमांक 111822, शशि शंकर (मेधा क्रमांक-40) द्वारा सेवाओं के लिए दिये गये आंशिक अधिमान-क्रम के अधीन उनके उक्त मेधा-क्रमांक तक तदनुसार रिक्ति शेष नहीं रही, जिस कारण उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की जा सकती है; उक्त दो उम्मीदवारों ने उक्त सभी आठ सेवाओं/पदों के लिए अपना अधिमान-क्रम अंकित नहीं किया है।
- परीक्षाफल के मुद्रण की किसी त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- उपर्युक्त परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
- उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लब्धांक दिनांक 30.01.2009 से आयोग के उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित रहेंगे एवं तदनुसार ही इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

तिथि: 24 जनवरी, 2009

Certified
Section Officer
Bihar Public Service Commission
PATNA

उप सचिव-सह-परीक्ष नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

नीय

पत्र संख्या-12/नि0-1018/2004का0-10059

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

12/11/05

प्रेषक,

श्री मोहन कुमार सरकार,
सरकार के उप सचिव।

7A-
14/11/2005

सेवा में,

उप सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

पटना-15, दिनांक 10 नवम्बर, 2005.

विषय:- 47 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-430 दिनांक-6-5-2005 के प्रसंग में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर भरे जानेवाले उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लिए उपलब्ध रिक्तियों की आस्थावार अधियाचना नीचे अंकित कर भेजी जा रही है:-

§ I § आरक्षित-	18 § अकारह § पद
§ II § अनुसूचित जाति-	06 § उः § पद
§ III § अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग-	06 § उः § पद
§ IV § पिछड़ा वर्ग-	05 § पंचांश § पद
§ V § पिछड़ा वर्ग की महिला-	01 § स्त्री § पद
कुलयोग-	36 § छत्तीस § पद

2. उपर्युक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0-502 दिनांक 2-11-2002 से आछादित रहेगा।

3. बिहार राज्य अधिनियम 15/2003 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-72 दिनांक 13-2-2004 के आलोक में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आस्था का लाभ देय नहीं होगा।

4. गुणागुण के आधार पर नियुक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना उनके कोटे में नहीं की जायेगी।

Certified

Section Officer

Bihar Public Service Commission
PATNA

1459
14.11.05

15/11/05

(3) 1942 लोक सेवा अधिनियम

आ: अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका-11 में यथावर्णित आरक्षणवार कुल 36 [उत्तीत] अधिप्राप्ति रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तत्तल स्वं योग्य अर्थाधिकारियों की अनुमति यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव ।

रंगजी/

पं०

[Faint, mostly illegible text, possibly a list or detailed notes related to the recruitment process mentioned in the main text.]